

संख्या- 5062/संतर-2-2004-2(345)/2004

प्रमुख,  
अध्यापक पाल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
मुख्य सचिव,  
श्री. वरग सिंह विश्वविद्यालय,  
बैरठ।

उप विज्ञान अनुमान-2


संज्ञक-दिनांक: 12 जनवरी, 2005

विषय- बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के क्षेत्रगत एलएलबी कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता/630, दिनांक 27-11-2004 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने संयुक्त विश्वविद्यालय सरस्वती विद्या मन्दिर लॉ कॉलेज, शिकारपुर, बुलन्दशहर को एलएलबी (तीन वर्षीय) कार्यक्रम स्वीकृत पोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान कर दी है:-

- (1) उक्त कार्यक्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के पर्याप्त एवं बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के अनुमोदनोपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे।
- (2) संस्थान सम्बद्धता का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व भवन निर्माण की कार्यवाही एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर लेनी।
- (3) महाविद्यालय के नाम भूमि राजस्व अधिनियमों में दर्ज होने, निजी भवन में उक्त कार्यक्रम प्रारम्भ करने एवं अवस्थापना सामग्री तथा कार्यालय पूर्वी की उपलब्धता का पुनः परीक्षण करने के उपरान्त ही शासनादेश संख्या-3075/संतर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं शासनादेश संख्या-193/संतर-2-2003-2(166)/2002, दिनांक 13 जनवरी, 2003 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार ही सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।
- (4) संस्थान की किसी सावितिलिरी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।
- (5) संस्थान विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी नीति विषयक आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगी।
- (6) मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अधिनियमों में दर्ज कराकर छात्रों की प्रति ग्राम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी क्षेत्रीय प्राधिकरण ने छत्र किये जाने की स्थिति में तीव्रदंड की प्रमाणित प्रति सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

  
Manager  
Saraswati Vidya Mandir Law College  
Shikarpur (Bulandshahr)



-2-

- (7) उक्त पाठ्यक्रम का संघटन अंगीकृत प्रदान करने के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित शिकारपुर में ता कातेज हेतु अंकिता 2082 वर्ग मीटर भूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संघालित किया जायेगा। अन्यत्र संघालित करने पर वह अंगीकृत आवेदों स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (8) ट्रस्ट/संस्थाद्वारा एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सेवा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधिः अंगीकृत कर दी जायेगी।
- 2- अनुरोध है कि कृपया अग्रेष्ठ आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जगन्नाथ पाल)  
संयुक्त सचिव।संख्या- 5762-  
(1)/साधार-2-2004-तदुद्दिष्ट

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, नगर काउंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इंदौर नगरपालिका, नई दिल्ली-1
- (2) सचिव, सत्यनन्द शिक्षा समिति, सरस्वती विहार, शिकारपुर, बुलन्दशहर।
- (3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उग्रो, इलाहाबाद।
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (5) नाई फाइल।

आशा है,

(जगन्नाथ पाल)  
संयुक्त सचिव।


Manager  
Saraswati Vidya Mandir Law College  
Shikarpur (Bulandshahr)

संख्या-सम्ब0-173/सत्तर-2-2008-2(266)/2008

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

श्री0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,

मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 24 जुलाई, 2008

विषय:-

महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सम्बद्धता/317, दिनांक 05 मई, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (प्रधानमन्त्री द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परानुक के अधीन सरकारी विद्या मंदिर लॉ कॉलेज, शिकारपुर, बुलन्दशहर को एल0एल0वी0 (सीन वर्पीय) राष्ट्रपति ने स्वीकृत घोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2008 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- (1) महाविद्यालय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा तथा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या-4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007, दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (3) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में धर्जित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अर्थात्,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।


संख्या-सम्ब0-173(1)/सत्तर-2-2008-सददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राज एवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (4) सचिव/प्रधान, सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज, शिकारपुर, बुलन्दशहर।
- (5) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)



Manager  
Saraswati Vidya Mandir Law College  
Shikarpur (Bulandshahr)



# चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/205  
दिनांक : 24.12.2005

सचिव,  
सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज,  
सरस्वती विहार, शिकारपुर  
बुलन्दशहर  
महोदय,

माननीय कुलपति विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-ई.स. 1360/जी.एस. दिनांक 21.07.2005 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलपति महोदय ने उ0920 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज, शिकारपुर, जिला- बुलन्दशहर को एल-एल-बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में 160 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्वयंसेवक पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2005 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण अख्यता एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेना अन्यथा अपने शिक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्रपत्र सचिव एवं शिक्षकों की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य का प्रमाणिक विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
3. संस्था बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेनी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही हैं।
4. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आसनदेश संख्या-2851/संतर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनदेशों का पालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिर्देशावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तें एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0920 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रस्तावना में कुलपति जी के आदेशानुसार एल-एल-बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में 160 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्वयंसेवक पोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2005-2006 अर्थात् दिनांक 01.07.2005 से आगामी तीन वर्ष हेतु उपरोक्त शर्तें तथा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिनिधि:-

1. महापठक कुलसचिव (लेखा) को सूचनाई।
2. प्रभारी, कम्पटी रोल, चौ0 वरुण सिंह विश्वविद्यालय की आगामी कार्यपरिषद की बैठक के सूचनाई।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाई प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) रोल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाई प्रेषित।

Manager  
Saraswati Vidya Mandir Law College  
Shikarpur (Bulandshahr)





पत्रांक : सम्बद्धता/ 2348  
दिनांक : अक्टूबर 2008  
20/11/09

सचिव,  
सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज,  
शिकारपुर, बुलन्दशहर

महोदय,

अनुसूचित, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र संख्या-सम्ब-173/सत्तर-2-2008-2 (206)/2008, दिनांक 24.07.2008 को जल्द से जल्द करने का कष्ट करें, जिसका माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (पञ्चासरोपित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक की अंशिन सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज, शिकारपुर, बुलन्दशहर को एल-एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रार पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अंशिन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है -

1. महाविद्यालय द्वारा बार कॉलेजियल ऑफ इन्फ्रिक्टा की मान्यता प्राप्त करने के परमात ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा तथा बार कॉलेजियल ऑफ इन्फ्रिक्टा द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 एवं शासनादेश संख्या-4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007, दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्मित शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की प्रतिनिधिमाली/अध्यक्ष ने अनित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस दिली जावे की कार्यवाही निधनानुसार की जायेगी।

माननीय शासन एवं बार कॉलेजियल ऑफ इन्फ्रिक्टा द्वारा प्रदत्त उच्च स्वीकृति के आशंक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रवृत्ति ने कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज, शिकारपुर, बुलन्दशहर को एल-एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रार पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अंशिन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

8/1

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिनिधि :-

1. सहायक कुलसचिव (विद्यार्थी) को सूचनाई।
2. प्रभारी, कानूनी सेवा, चौधरी धरम सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाई प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी धरम सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाई प्रेषित।
4. प्रभारी, मोपनीय (प्रोफेशनल) सेवा, चौधरी धरम सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाई प्रेषित।
5. इन्फ्रिक्टा बार कॉलेजियल ऑफ इन्फ्रिक्टा, 21, राज एवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2 को सूचनाई एवं सहायक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव

Manager  
Saraswati Vidya Mandir Law College  
Shikarpur (Bulandshahr)





पत्रांक : सम्बद्धता/1522

दिनांक : 4.7.2017

**सम्बद्धता आदेश**

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सरस्वती विद्या मन्दिर लॉ कालेज, शिकारपुर, जिला- बुलन्दशहर को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एलबी0 (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से आगामी पाँच वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण य एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्ठावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 21.06.2017 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती विद्या मन्दिर लॉ कालेज, शिकारपुर, जिला- बुलन्दशहर को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एलबी0 (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से आगामी पाँच वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है इसी क्रम में यह भी सूचित है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सरस्वती विद्या मन्दिर लॉ कालेज, शिकारपुर, जिला- बुलन्दशहर।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मचारी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि यह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

*(Signature)*  
Manager  
Saraswati Vidya Mandir Law College  
Shikarpur (Bulandshahr)





## भारतीय विधिज्ञ परिषद् BAR COUNCIL OF INDIA

21, राउज ऐवन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया  
नई दिल्ली - 110 002

21, Rouse Avenue Institutional Area  
New Delhi - 110 002

Dated 04.7.2017

BCI: D: 949/2017 (LE/Afflin)

To,

The Registrar,  
Ch. Charan Singh University  
Meerut,  
Uttar Pradesh

Sub: Extension of provisional temporary approval of affiliation to  
Saraswati Vidya Mandir Law College Bulandsehar,  
Uttar Pradesh for three year LL.B course for the  
academic year 2017-2018.

Sir,

This is with reference to the above mentioned subject regarding extension of provisional approval of affiliation to **Saraswati Vidya Mandir Law College Bulandsehar, Uttar Pradesh** which has already applied for extension of approval of affiliation for the academic year 2017-18 and wherein inspection of the Bar Council of India is pending.

The matter relating to colleges similarly placed were considered by the Legal Education Committee of Bar Council of India at its meeting held on 30.4.2017 which was further ratified/confirmed by the General Council of Bar Council of India on 5<sup>th</sup> May, 2017. The resolution passed was as follows:


"RESOLVED that colleges whose inspection fee has been deposited, application for extension of approval of affiliation is pending, no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for its consideration, then such colleges may continue to admit students only for the academic year 2017-2018. This will apply only in case where affiliation has been granted by the University which of course shall be subject to the inspection to be made by the Bar Council of India subsequently."

Contd.../-

Manager  
Saraswati Vidya Mandir Law College  
Shikarpur (Bulandshahr)


Since your university has given affiliation for the year 2017-2018, you are requested to allow **Saraswati Vidya Mandir Law College Bulandsehar, Uttar Pradesh** to admit students in **three year LL.B course** with existing sections for the academic year 2017-2018.

This is for your information and necessary action.




[N. Senthil Kumar]  
Asst. Secretary

Yours sincerely

  
[Srimanto Sen]  
Secretary

Copy to:

1. The Principal  
Saraswati Vidya Mandir Law College,  
Saraswati Vihar, Shikarpur - 202395  
Bulandshahr,  
Uttar Pradesh
2. The Secretary  
Bar Council of Uttar Pradesh  
19, Maharishi Dayanand Marg  
Allahabad (UP)



Manager  
Saraswati Vidya Mandir Law College  
Shikarpur (Bulandshahr)